26/08/2022 — आज पार्टी [illegible] / वकील उपस्थित
वकील उपस्थित की प्रार्थना पत्र नगरपालिका
अधिनियम अन्तर्गत धारा 127 दण्ड प्रक्रिया संहिता
1955 पर बहस सुनी वकील पार्टी ने कानूनी
नजीरें पेश की। वकील उपस्थित की बहस पर
कानूनी नजीरें। प्रार्थना पत्र का जवाब मिला है
पाया कि काफी कुर्की [illegible] हो चुकी है व
उसके साथ सहखातेदारों के हिस्से अनुसार ही प्रस्ताव
तैयार किया गया है और ऐसी स्थिति में जब पक्षकारों
के आपसी फैसले हिस्से अनुसार ही प्रस्ताव पेश
किया गया है तो पार्टी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाता है। और पार्टी का नगरपालिका
[illegible] मिला जाता है विस्तृत विवरण अलग से
लिखकर [illegible] किया जाता है। प्रार्थना
पत्र मंजूर के बाद [illegible] अनुसार ही
[illegible] है। तिथि आगे 26/8/2022
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
अमृतसर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:56:36 IST
Reason: SelfAttested